By e-mail
"अत्यावश्यक"

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःप.8(ग)(04)नियम/डीएलबी/2022/3654 जयपुर,दिनांकः 14-3-2023

परिपत्र

टेलिकॉम टॉवर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को निरस्त/स्थगित करने से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण का अधिकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश दिनांक 06.02.2017 के बिन्दू सं0 15 (4) के अनुसार DTC/STC को दिया गया है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 17.09.2019 में लिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या–1 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नगरीय निकाय द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को संबंधित नगरीय निकाय, संबंधित कम्पनी के प्रतिनिधि को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रकरण को जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करें एवं जिला स्तरीय समिति के निर्णयानुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जावें। अतः नगरीय निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को जिला स्तरीय समिति की अनुशंषा के बिना निरस्त/स्थगित नहीं किया जायेगा।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(04)नियम/डीएलबी/2022/3655-3910 जयपुर,दिनांकः 14-3-2023
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय निकाय विभाग, समस्त राज0।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका/परिषद/पालिकाऐं, समस्त राज0।
7. निदेशक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. प्रोग्रामर (आई.टी.सेल) निदेशालय को अपलोड करने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी